

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

संलग्नक दिनांक 15-8-2020

कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, भारत के कार्यालय और इन्फो, नई दिल्ली द्वारा संलग्न सं. 2020-21 हेतु विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संलग्नक सं. सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अधिकाता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2020-21 हेतु अर्पित नए संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा समता वृद्धि संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सं. 102-102 में निर्धारित इन इकाई/पाठ्यक्रम कार्यालय कार्यकारी एवं से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा भारत विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संलग्नक सं. पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एम्पाईपसीटीआई द्वारा सं. 2020-21 हेतु अर्पित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एम्पाईपसीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/परीक्षा समता को साथ सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्पाईपसीटीआई द्वारा सं. 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल-सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संलग्नक द्वारा सं. 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों से अर्पित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्पाईपसीटीआई /द्वारा सं. 2020-21 अनुमोदित समता	परीक्षा द्वारा सं. 2020-21 में अनुमोदित परीक्षा समता
1	1545	जीपीके इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनएफए-2, मुनादपुर, किलोखारा, राय, आगरा।	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग	80 80 80 80	80 80 80 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्पाईपसीटीआई/पीसीआई द्वारा नियंत्रित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों-1982, संशोधन विनियमों-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं प्रादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई/पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रमों हेतु रु. 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय कार्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु. 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। अधिकाता के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क से सम्बंधित संशोधन-समय पर कलकत्ता द्वारा निर्णय किये जाने वाले सलाहनामों प्रभावी होने और अनुसंधान कार्यालयों किये जाने आवश्यक होगा। तीन वर्षीय कार्यक्रमों द्वारा यदि सं. 2020-21 हेतु परीक्षा का पूर्णतः पालन किया जाता है, तो परीक्षा की समीक्षाएं दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को एम्पाईपसीटीआई प्राविधिक शिक्षा परिषदों तथा उक्त संस्थित संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायेगा। विनियमों-2000 की शर्तों का अनुपालन कराया होगा।

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय त्वाप:-

आखिर भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (कार्मरी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सत्र 2021-22 हेतु दिल्ली में स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/माध्यम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 36 एच लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन माध्यम/प्रवेश क्षमता एवं उठाने/अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 1655-K P ENGINEERING AND TECHNOLOGY, NH-2, ETMADPUR, FIRUZABAD ROAD, AGRA

क्र.सं०	माध्यम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 काट अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹10-30150-00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मरी पाठ्यक्रम हेतु ₹10-45000-00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों को वर्षीय कार्मरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹10-22500-00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सूचनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या - प्राविषापरिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तारीख दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय भाषा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (आईसीकई) गैर अफिलिएट नई दिल्ली द्वारा वैश्विक समझौते के तहत द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 01/08/2022 को पश्चिम कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में समिति द्वारा रात 08:00 हेतु अनुमोदित कई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व ही संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदान करने का प्रवेश आगत हुई। सहित अन्य मही पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार गैर अफिलिएट नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम प्रदान करने अर्थात् प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान की जायेगी।

संस्था का कोड एवं नाम : 1555-K P ENGINEERING AND TECHNOLOGY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2007, कोड ऑफ विनियमवली-2014 तथा सम्बद्धता पर किये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा एनक निर्दिष्ट समिति द्वारा निर्धारित एनक लेवल पर्याप्त इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रु० 30-150-000 प्रतिवर्ष दो वर्षों के अर्थात् प्रथम वर्ष हेतु रु०- 150000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष एवं दो वर्षों के पाठ्यक्रमों हेतु प्रथम वर्षों के अतिरिक्त हेतु रु०-225000/- प्रतिवर्ष संस्था को प्रत्येक वर्ष एक वर्ष दो वर्षों के पाठ्यक्रमों हेतु प्रथम वर्षों के अतिरिक्त छात्रों/छात्राओं से शुल्क के संबंध में सम्बद्धता पर रातक-छात्र प्रत्येक वर्ष/वर्ष से प्राप्त किया जाएगा। संस्था के अतिरिक्त छात्रों/छात्राओं से शुल्क के संबंध में सम्बद्धता पर रातक-छात्र प्रत्येक वर्ष/वर्ष से प्राप्त किया जाएगा। और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक है। परिसर विचार समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 30/08/2022 तक प्रवेश प्रदान करने के लिए आवश्यक है, तो कोस की सर्वोत्तम परंपरा होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छात्रों को ही अंतर्गत दिए जाएंगे।
- ✓ संस्था को संयुक्त समय पर निर्मित एनक लेवल के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शर्तों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विनियमवली-2014/विनियमवली-2007 एवं निर्देशों एवं निर्देशों का पालन प्रवेश परीक्षा परिसर 30/08/2022 तक प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में लिये गये निर्णयों, निर्देशों, निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक है।